न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120021782022
परिवाद संख्या–284 / 2022
रेखा उर्फ राखी बनाम राजकुमार आदि।
थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–15.10.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मेरी शादी विपक्षी राजकुमार के साथ सम्पन्न हुई थी। कुछ दिन अच्छे से रखा, परन्तु बाद में मुझसे सभी विपक्षी 1 लगायत 5 के द्वारा एक गाडी मोटर साइकिल अतिरिक्त दहेज के रुप में व पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मांगने लगे। मना करने पर मेरे साथ सभी लोग मारपीट, मानसिक व शारीरिक रुप से परेशान करते हैं। गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते है। मैं दो साल से लगातार मीडिऐशन जा रही हूॅ, परन्तु विपक्षीगण नहीं पहुंचते हैं। मेरी मद्द की जाये।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 अरविन्द कुमार व पी0डब्ल्यू0–2 वीरेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, मूल रजिस्ट्री रशीद, शादी कार्ड की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण राजकुमार, रामवीर, पूजा देवी, छोटेलाल व सुनीता के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उक्त विपक्षीगण धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण राजकुमार, रामवीर, पूजा देवी, छोटेलाल व सुनीता के विरूद्ध धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 15.11.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738